

[2024] 4 एस. सी. आर. 1:2024 आई. एन. एस. सी. 257

लेवल 9 बिज़ प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण और एक अन्य

(सिविल अपील संख्या 4626/2024)

02 अप्रैल 2024

[बेला एम. त्रिवेदी* और पंकज मित्तल, जे. जे.]

विचार के लिए मुद्दा

मामला प्रतिवादी संख्या.न.-1 व प्रतिवादी न.-2 के बयानों को स्वीकार करके रिट याचिका का निपटारा करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता से संबंधित है। प्रतिवादी न.-1, प्रस्तावक और प्रतिवादी न.-2 सफल बोलीदाता, उत्तरदाता को अनुमति देते हुए प्रतिवादी नं.1 प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया आदेश के रद्द होने को वापस लेना और प्रतिवादी न.-2 को अनुमति देना, प्रारंभिक निविदा के समान नियमों और शर्तों पर परियोजना को निष्पादित करने के लिए, हालांकि उक्त निविदा पहले से ही प्रतिवादी न.-1 ने प्रतिवादी सं. के अधिकारियों द्वारा की गई घोर अनियमितताओं और अवैधताओं की पुष्टि करने वाली स्वतंत्र समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वापस ले ली थी।

हेडनोट्स

निविदा-निविदा आमंत्रित करने की सूचना- प्रस्तावक द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में आशय पत्र जारी करना-असफल बोलीदाता द्वारा चुनौती-प्रस्तावक द्वारा प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया को रद्द करना और उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों के कारण सफल बोलीदाता के पक्ष में जारी आशय पत्र को वापस लेना-इसके बाद, प्रस्तावक द्वारा नए सिरे से एन. आई. टी. जारी करना-उच्च न्यायालय को चुनौती-उच्च न्यायालय ने केवल प्रस्तावक के इस कथन को स्वीकार करते हुए रिट याचिका का निपटारा किया कि उसे प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं थी और प्रारंभिक सफल बोलीदाता का बयान कि वह शुरू में सहमत हुए नियमों और शर्तों पर परियोजना को निष्पादित करने के लिए तैयार था, हालांकि उक्त निविदा पहले ही वापस ले ली गई थी।

* लेखक

आयोजित किया गया: प्रतिवादी न. 2- सफल बोलीदाता के पक्ष में कोई भी अधिकार नहीं बनाया गया है, और प्रतिवादी न.1 हिमुडा- टेंडर ने निविदा रद्द कर दी और नए एन. आई. टी. जारी किए, जैसे कि प्रतिवादी न.1 प्रतिवादी न. 2 को अनुमति देने के लिए सहमत नहीं हो सकता था । प्रतिवादी न. 2 जिसे तकनीकी रूप से योग्य नहीं पाया गया था, वह विचाराधीन परियोजना के निष्पादन के साथ आगे बढ़े और वह भी अन्य दो पक्षों को बातचीत करने का कोई अवसर दिए बिना- और वह भी प्रतिवादी न. 1 और प्रतिवादी न. 2 के साथ मिलीभगत में। ने उच्च न्यायालय को धोखा दिया और प्रतिवादी न. 1 के अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं और अवैधताओं को छिपाने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। उच्च न्यायालय भी प्रतिवादी न. 1 और 2 के बुरे इरादे पर ध्यान नहीं दे सका और याचिका का निपटारा करते हुए, उन्हें मूल निविदा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देते हुए-इस प्रकार, स्वतंत्र समिति द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और एकल पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों को दरकिनार करने के लिए कोई ठोस कारण बताए बिना और विवेक के उचित प्रयोग के बिना विवादित आदेश पारित किया गया है, जिसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है-साथ ही, प्रतिवादी नं। 1, अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर 'राज्य' भी परिभाषा में होते दुर्भावनापूर्ण और प्रतिवादी सं. 2 के साथ मिली भगत कि को साथ मिली भगत कि और उच्च न्यायालय को, भारी लागत रुपये का धोका दिया 1 5,00,000-प्रतिवादी पर लगाया गया सं. प्रतिवादी न. 1-भारत का संविधान-अनुच्छेद 12। [पारस 11-14]

निविदा-निविदा आमंत्रित करने की सूचना-आशय पत्र- इसकी प्रकृति:

आयोजित किया गया: आशय पत्र केवल एक अनुबंध में प्रवेश करने के इरादे की अभिव्यक्ति है-यह उस पक्ष के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाता है जिसे यह जारी किया जाता है-एल. ओ. आई. जारी करने वाले पक्ष और जिस पक्ष को ऐसा एल. ओ. आई. जारी किया जाता है, उसके बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं है-दूसरे पक्ष द्वारा एल. ओ. आई. प्राप्त होने के बाद पक्षों के बीच विस्तृत समझौता/अनुबंध तैयार करने की आवश्यकता होती है।[पैरा 10]

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया को रद्द करना; निविदा; अनियमितताएं और अवैधताएं; निविदा आमंत्रित करने की सूचना; आशय पत्र; सरकारी खजाने पर बोझ; कानून का दुरुपयोग प्रक्रिया;

लागत; नई निविदा प्रक्रिया; समझौता/अनुबंध।

मामला सामने आ रहा है

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : दीवानी याचिका सं 4626/2024

2021 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1481 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 18.10.2022 के निर्णय और आदेश से

दलों के लिए उपस्थिति

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, रितेश खत्री, सुश्री देवेशी चंद, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।

अनूप जी. चौधरी, नवीन पाहवा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, शंकर दिवाते, जे. पी. मिश्रा, डी. के. ठाकुर, राजीव कुमार गुप्ता, तवलीन सिंह, जोगिंदर मान, सुश्री वल्लभी शुक्ला, दिव्यांश ठाकुर, बिमलेश कुमार सिंह, कंवल चौधरी, नीरज अग्रवाल, संतोष कुमार यादव, सुश्री निहारिका, निशांत आनंद, अधिवक्ता प्रतिवादियों के लिए।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय /आदेश

फैसला

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. अनुमति दी गई।
2. अपीलकर्ता-स्तर 9 बी. आई. जेड. प्राइवेट लिमिटेड, जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, 2021 की सिविल रिट याचिका संख्या 1481 है, जिसे शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2-मेसर्स वासु कंस्ट्रक्शंस द्वारा दायर किया गया है, ने उक्त कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.10.2022 के विवादित आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1-हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (एच. आई. एम. यू. डी. ए.) की ओर से दिए गए बयान को केवल स्वीकार करते हुए उक्त सी. डब्ल्यू. पी. का निपटारा करते हुए विवादित आदेश पारित किया कि वह प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया आदेश दिनांक 05.02.2021 को रद्द करना चाहता है, और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दिया गया बयान कि वह उसी नियम और शर्तों और दरों पर परियोजना को निष्पादित करने के लिए तैयार है जो प्रारंभिक निविदा दिनांक 15.11.2018 के अनुसार है, हालांकि उक्त निविदा को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पहले ही वापस ले लिया गया था। हिमुडा अपने द्वारा की गई अनियमितताओं और अवैधताओं को देखते हुए, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा

नियुक्त एक स्वतंत्र समिति द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता और एक दलीप एस राठौर द्वारा दायर पूर्व रिट याचिकाओं में दर्ज किया गया है।

3. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले व्यापक तथ्यों को निम्नानुसार कहा जा सकता है:-

तिथियाँ	घटनाएँ
15/16.11.2018	हिमुडा (आर-1) द्वारा विकास नगर, शिमला के प्रस्तावित वाणिज्यिक परिसर के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एन. आई. टी.) जारी की गई थी, जिसकी अनुमानित लागत रुपये 45,05,62,074/-
15.12.2018	तकनीकी बोलियां खोली गईं और उसी दिन वित्तीय बोलियां भी खोली गईं।(अपीलकर्ता और आर-2 को ही योग्य पाया गया-लेकिन अपीलकर्ता एल2 था)
17.12.2018	एल. ओ. आई. आर-1 द्वारा आर-2 के पक्ष में जारी किया गया था।
24.12.2018	एक असफल बोलीदाता दलीप एस राठौर ने प्रतिवादी संख्या 2 के तकनीकी विनिर्देशों और अयोग्यता को चुनौती देते हुए 2018 की सी. डब्ल्यू. पी. 3021 के रूप में रिट याचिका दायर की, जिसमें निविदा को रद्द करने की भी मांग की गई।हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
02.01.2019	आर-1 हिमुडा ने आर-2 एम/एस वासु कंस्ट्रक्शंस के दिनांकित एल. ओ. आई. को यह कहते हुए वापस ले लिया कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है और काम केवल उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही दिया जाएगा।
05.01.2019	आर-1 हिमुडा ने एक समिति का गठन किया, जिसने निविदा प्रक्रिया की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि कई खामियां थीं जो गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी देती हैं।
07.01.2019	आर-1 द्वारा गठित एक अन्य समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि श्री दलीप सिंह योग्य नहीं थे और मेसर्स वासु कंस्ट्रक्शंस योग्य थे।

23.02.2019	अपीलकर्ता- लेवल 9 बिज़ प्राइवेट लिमिटेड ने आर-2 एम/एस. वासु कंस्ट्रक्शंस की तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को अस्वीकार करने का अनुरोध करते हुए 2019 की सी. डब्ल्यू. पी. 363 याचिका दायर की।
25.11.2020	उच्च न्यायालय ने सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3021/2018 और 363/2019 में 25.11.2020 पर एक विस्तृत आदेश पारित किया। पैरा 29 में उच्च न्यायालय ने कहा - <i>“[.....] इस न्यायालय का प्रथमदृष्टया यह विचार है कि हिमुडा में उच्च पदों पर कार्यरत कुछ अधिकारियों ने जिम्मेदारी से और संगठन के हित में काम नहीं किया है, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने का प्रयास किया है। अभिलेख को देखने के बाद, यह न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर है कि विचाराधीन निविदा के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी बोलियों के साथ निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की ठीक से जांच नहीं की और कुछ योग्य ठेकेदारों को बाहर करने और अपने पसंदीदा ठेकेदारों को यह पुरस्कार देने की दृष्टि से पूरी तरह से अविश्वसनीय तर्क देते हुए अपनी कार्रवाई को सही ठहराने का प्रयास किया है।”</i> पैरा 31 में उच्च न्यायालय ने कहा - <i>“लेकिन, प्राधिकरण को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, यह फिर भी मेसर्स वासु कंस्ट्रक्शन कंपनी के पक्ष में निविदा देने के लिए आगे बढ़ा।”</i> इसलिए उच्च न्यायालय ने आम जनता में विश्वास पैदा करने और व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, विचाराधीन निविदा प्रक्रिया की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया और समिति को अदालत को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

02.01.2021	उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की।
08.01.2021	उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाओं संख्या 3021/2018 और 363/19 का निपटारा किया और पंजीकरण को दोषी अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है:- 14. क्योंकि समिति, अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंची है कि कमियों/अनियमितताओं के कारण, विचाराधीन निविदा को रद्द करने की आवश्यकता है, इसलिए इस अदालत के पास इन मामलों में निर्णय लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ एक तरफ छोड़ते हुए, दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, जांच समिति के निष्कर्षों के साथ-साथ उसमें दिए गए सुझावों से संतुष्ट होकर, मामलों पर आगे मुकदमा चलाने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने इसे निष्फल होने के रूप में निपटाने का अनुरोध किया है। 15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दोनों याचिकाओं को सभी लंबित आवेदनों के साथ निष्फल के रूप में निपटाया जाता है। अंतरिम निर्देश, यदि कोई हों, तो खाली हो जाते हैं। हालाँकि, पक्षकारों के लिए नई याचिकाएँ दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यदि कोई हो, यदि वे अभी भी व्यथित हैं। 16. तथापि, यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देता है कि जांच समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कमी पाए जाने के बावजूद, जिम्मेदारी तय करने और आपराधिक या विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करने में विफल रही है, इस न्यायालय की पंजीकरण को अलग कार्यवाही दर्ज करने का निर्देश देना आवश्यक समझता है, जिससे यह न्यायालय उचित आदेश पारित करने में सक्षम हो जाता है ताकि जांच समिति की रिपोर्ट में दी गई

	सिफारिशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक/विभागीय कार्यवाही शुरू करने के संबंध में उचित आदेश पारित किए जा सकें। पंजीकरण को अलग-अलग कार्यवाही दर्ज करने और उसे 17.3.2021 पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। दिनांक 25.9.2020 का आदेश, यह निर्णय और इस न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट, नई कार्यवाही का हिस्सा बनेगी।
05.02.2021	प्रतिवादी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.01.2021 के आदेश को देखते हुए निविदा को रद्द कर दिया।
03.03.2021	प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1, यानी 2021 के सी. डब्ल्यू. पी. 1481 के खिलाफ एक नई रिट याचिका दायर की, जिसमें दिनांक 05.02.2021 के आदेश को चुनौती दी गई। प्रतिवादी नं. 2 ने एकल पीठ द्वारा सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3021/2018 और सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 363/2019 में पारित सामान्य आदेश दिनांक 08.01.2021 के खिलाफ एल. पी. ए. संख्या 6/2021 और 12/2021 होने के कारण अलग-अलग दो एल. पी. ए. भी दायर किए।
17.11.2021	आर-1 हिमुडा ने उसी काम के लिए नया एन. आई. टी. जारी किया।
01.12.2021	उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने एल. पी. ए. संख्या 6/2021, 12/2021 और सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1481/2021 में एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें अगले आदेश तक एन. आई. टी. दिनांक 17.11.2021 पर रोक लगा दी गई।
18.10.2022	खण्ड पीठ ने प्रतिवादी नंबर 1 के कार्यकारी अभियंता के बयान पर रिट याचिका संख्या 1481/2021 का निपटारा किया, जिसमें कहा गया था: 7. श्री राजेश ठाकुर, कार्यकारी अभियंता, हिमुडा, प्रभाग,

	शिमला-9 के निर्देश पर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि सक्षम प्राधिकारी 5 फरवरी, 2021 के प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया आदेश को रद्द करना चाहते हैं, जिसमें संख्या 5806-11 है, क्योंकि जनता सुविधाओं से वंचित है, जो परियोजना के पूरा होने के बाद उन्हें उपलब्ध होती। परियोजना के निष्पादन में देरी के कारण परियोजना की लागत बढ़ने वाली है, जिससे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकारी खजाने पर। विभिन्न सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों को कार्यालय आवास की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए, व्यापक सार्वजनिक हित में, प्राधिकरण को प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि याचिकाकर्ता उसी दर और नियमों और शर्तों पर काम करने के लिए तैयार है जो प्रारंभिक एन. आई. टी. दिनांक 15.11.2018 (अनुलग्नक पी-2) को अंतिम रूप देने के समय सहमत हुए थे। कार्य के निष्पादन के लिए समय अवधि नए पुरस्कार पत्र की तारीख से शुरू होगी जो 15 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया जाएगा। 8. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के निर्देश पर प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी द्वारा दिया गया प्रस्ताव याचिकाकर्ता को स्वीकार्य है और याचिकाकर्ता प्रारंभिक निविदा दिनांक 15.11.2018 (अनुलग्नक पी-2) के अनुसार समान नियमों और शर्तों और दरों पर परियोजना को निष्पादित करने के लिए तैयार है।
नवंबर 2022	प्रतिवादी 1 और 2 के बीच अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे काम शुरू हो गया।
12.12.2022	अपीलकर्ता ने दिनांक 18.10.2022 के विवादित आदेश को चुनौती देते हुए एस. एल. पी. दायर की और अदालत ने नोटिस जारी करते हुए दिनांक 18.10.2022 के विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी।

4. तत्काल अपील में हमारे सामने जो सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय प्रतिवादी सं. सं. द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. का निपटारा कर सकता था। 2 प्रतिवादी सं. 2 के लिए विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से दिए गए बयानों को स्वीकार करके वस्तुतः प्रतिवादी सं.1 एच. आई. एम. यू. डी. ए. प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया आदेश दिनांक 05.02.2021 को रद्द करने और प्रतिवादी सं. 2 मेसर्स वासु कंस्ट्रक्शंस ने दिनांकित प्रारंभिक निविदा के अनुसार समान नियमों और शर्तों पर और दरों पर परियोजना को निष्पादित करने के लिए इजाजत देना उन्हीं बशर्तों जो प्रारम्भिक निविदा 15.11.2018 के तहत हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा गठित स्वतंत्र समिति द्वारा की गई रिपोर्ट को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 हिमुडा द्वारा उक्त निविदा पहले ही वापस ले ली गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय के अधिकारियों द्वारा की गई घोर अनियमितताओं और अवैधताओं की पुष्टि की गई थी। हिमुडा और एकल पीठ द्वारा पारित दिनांकित 08.01.2021 आदेश को ध्यान में रखते हुए?
5. जैसा कि घटनाओं के कालक्रम से देखा जा सकता है, अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 को 15.12.2018 पर खोली गई तकनीकी बोलियों में योग्य घोषित किया गया था और उसी दिन उक्त दोनों पक्षों की वित्तीय बोली भी खोली गई थी। प्रतिवादी नं.2 एल-1 होने के कारण, दिनांकित आशय पत्र 17.12.2018 प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया था। इसके बाद, एक असफल बोलीदाता मेसर्स दलीप सिंह राठौर ने निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं और अवैधताओं का आरोप लगाते हुए और प्रतिवादी नं. 2 की पात्रता को चुनौती देते हुए रिट पटीशन न 302/18 उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। निविदा को रद्द करने की भी मांग। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी सं. 2 की तकनीकी और वित्तीय बोलियों को अस्वीकृति के लिए अनुरोध करते हुए सी. डब्ल्यू. पी. सं. 363/2019 भी दायर किया। प्रतिवादी नं.1 इस बीच HIMUDA ने निविदा प्रक्रिया की समीक्षा के लिए 01.01.2019 पर एक समिति नियुक्त की। प्रतिवादी नं.1 दिनांकित 02.01.2019 पत्र के माध्यम से भी प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में जारी आशय पत्र को वापस ले लिया गया। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने आम जनता में विश्वास पैदा करने और प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 25.11.2020 के आदेश के अनुसार कथित अवैधताओं और अनियमितताओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति भी नियुक्त की।

6. दिनांक 8.1.2021 के आदेश के अनुसार, उक्त स्वतंत्र समिति ने एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की कि निविदा के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने जिम्मेदारी और निष्पक्षता से काम नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप मैसर्स वासु कंस्ट्रक्शंस कंपनी (प्रतिवादी संख्या 2) और मैसर्स लेवल 9 बिज़ प्राइवेट लिमिटेड (अपीलकर्ता) दोनों को तकनीकी बोली में गलत तरीके से पात्र घोषित कर दिया गया था। समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि क्योंकि दोनों बोलीदाता एन. आई. टी. के नियमों और शर्तों के अनुसार तकनीकी रूप से योग्य नहीं थे, इसलिए निविदा को रद्द करने की आवश्यकता थी। एन. पी. ए. के संबंध में शर्त को हटाने की सिफारिश को छोड़कर उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों को प्रतिवादी सं. 1 हिमुडा की पांच समिति ने भी स्वीकारा। उच्च न्यायालय ने पक्षकारों के लिए संबंधित वकीलों के बयान दर्ज किए और सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3021/2018 और 363/2019 दिनांकित आदेश 08.01.2021 के माध्यम से याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाओं को निष्फल कर दिया गया था, हालांकि पक्षकारों के लिए नई याचिकाएं दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई थी, यदि वे अभी भी व्यथित हैं।
7. इसके बाद, प्रतिवादी नं।1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.01.2021 के उक्त आदेश को देखते हुए हिमुडा ने 05.02.2021 पर निविदा को रद्द कर दिया। प्रतिवादी की संख्या 1 उक्त कार्रवाई प्रतिवादी संख्या 2 मैसर्स वासु कंस्ट्रक्शंस द्वारा सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1481/2021 के रूप में एक याचिका दायर करके चुनौती दी गई। प्रतिवादी नं। 2 ने यह भी दो एल. पी. ए. 6/2021 और 12/2021 एकल पीठ द्वारा पारित सामान्य आदेश दिनांक 08.01.2021 से व्यथित पर दायर की। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने प्रतिवादी नं 1 और 2 के लिए विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए बयानों को स्वीकार करते हुए सी. डब्ल्यू. पी. सं. न. 148/2021 को दिनांक 18.10.2022 के विवादित आदेश के माध्यम से निपटाया।
8. हम यह समझने से चूक गए हैं कि प्रतिवादी नं. 2 द्वारा दायर उक्त याचिका कैसे दायर की गई। खण्ड पीठ द्वारा प्रतिवादी नं 1 और 2 के लिए विद्वान वकीलों के बयानों को केवल रिकॉर्ड करके और स्वीकार करके निपटाया जा सकता था। जब एन. आई. टी. दिनांक 15.11.2018 के संबंध में निविदा प्रतिवादी सं.1 उच्च न्यायालय द्वारा गठित स्वतंत्र समिति द्वारा और 08.01.2021 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण निविदा प्रक्रिया में सकल अनियमितताओं और अवैधताओं के कारण हिमुडा ने निविदा को रद्द कर दिया था। हम यह भी समझने से चूक गए हैं

कि कैसे हिमुडा के कार्यकारी अभियंता ने खण्ड पीठ के समक्ष बयान दिया होगा कि प्रतिवादी नं.1 का सक्षम प्राधिकारी नं। 1 प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया आदेश दिनांक 05.02.2021 के रद्द होने को वापस लेना चाहता था और प्रतिवादी नं. 1 को प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं थी, यदि प्रतिवादी नं। 2 एन. आई. टी. दिनांक 15.11.2018 को अंतिम रूप देने के समय जिन नियमों और शर्तों पर सहमति हुई थी, उसी पर काम को निष्पादित करने के लिए तैयार था, जब प्रतिवादी नं. 1 ने स्वयं प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया था और वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए अपने दिनांक 5.2.2021 के आदेश के माध्यम से प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया था कि निविदा को संसाधित करने में हिमुडा के अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं और अवैधताएं की गई थीं और प्रतिवादी नं। 2 तकनीकी रूप से योग्य नहीं था?

9. जब याचिकाकर्ता दलीप सिंह द्वारा दायर 2018 की रिट याचिका संख्या 3021 में दिनांकित सामान्य आदेश पारित किया गया था और वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर 2019 की रिट याचिका में, उसके द्वारा नियुक्त समिति के उक्त निष्कर्षों को दर्ज करते हुए, किस आदेश के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3021 पारित किया गया था। 05.02.2021 पर निविदा रद्द कर दी थी, और 17.11.2021 पर एक नया एन. आई. टी. जारी किया था, यह प्रतिवादी नं. 2 उक्त दो याचिकाकर्ताओं को उसके द्वारा दायर नई याचिका में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करना, अर्थात् ज़रूरी था 1481/2021, में और यह उच्च न्यायालय की ओर से भी बाध्यकारी था कि वह उक्त याचिका का निपटारा करने वाले विवादित आदेश को पारित करने से पहले उक्त याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दे, केवल प्रतिवादी नं. 1 और 2 के लिए विद्वान वकीलों के बयान दर्ज । प्रतिवादी नं. 1 और 2 को अनुमति देना। कि प्रारंभिक निविदा के अनुसार कार्य के निष्पादन के साथ आगे बढ़ना जो पहले से ही प्रतिवादी सं।1. ने खारिज कर दी थी ।
10. हालाँकि यह सच है कि शुरू में प्रतिवादी सं. न. 1 द्वारा एक एल. ओ. आई. जारी किया गया था। प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में दिनांक 17.12.2018 को, लेकिन उत्तरदाता संख्या न. 1 द्वारा इसे वापस ले लिया गया था। उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों के कारण दिनांकित 02.01.2019 पत्र के अनुसार। किसी भी मामले में, यह शायद ही दोहराया जाना चाहिए कि आशय पत्र केवल एक अनुबंध में प्रवेश करने के इरादे की अभिव्यक्ति है। यह उस पक्ष के पक्ष में कोई अधिकार पैदा नहीं करता है जिसे यह

जारी किया गया है। एल. ओ. आई. जारी करने वाले पक्ष और जिस पक्ष को ऐसा एल. ओ. आई. जारी किया जाता है, उसके बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं है। विशेष रूप से इस तरह के बड़े पैमाने के अनुबंध के मामले में दूसरे पक्ष द्वारा एल. ओ. आई. प्राप्त होने के बाद पक्षों के बीच एक विस्तृत समझौता/अनुबंध तैयार करने की आवश्यकता होती है।

11. चूंकि, प्रतिवादी न. 2 के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया गया था। और क्योंकि प्रतिवादी नं। 1, हिमुडा ने उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.01.2021 के आदेश को पहले ही स्वीकार कर लिया था, और निविदा को रद्द कर दिया था और 17.11.2021 पर नया एन. आई. टी. जारी कर दिया था, प्रतिवादी, संख्या 1, प्रतिवादी न. 2 को अनुमति देने के लिए सहमत नहीं हो सकता था। जिसे तकनीकी रूप से योग्य नहीं पाया गया था, वह विचाराधीन परियोजना के निष्पादन के साथ आगे बढ़े और वह भी अन्य दो पक्षों को बातचीत का कोई अवसर दिए बिना। यदि प्रतिवादी न. 1 सार्वजनिक खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए इतना उत्सुक था कि मूल निविदा में भाग लेने वाले तीनों पक्षों को इसके साथ बातचीत करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।
12. घटनाओं की पूरी श्रृंखला और प्रतिवादी न. 1 और 2 के आचरण को ध्यान में रखते हुए। हमें यह मानने में इस निर्णय पर आने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिवादी न. 1 प्रतिवादी सं. 2 के साथ मिलीभगत से उच्च न्यायालय प्रतिवादी न. 1 और 2 के अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं और अवैधताओं को छिपाने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। 1, और किसी भी तरह से प्रतिवादी को अनुबंध देने के लिए सं. 2 अदालत के आदेश की आड़ में। यह हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि उच्च न्यायालय भी प्रतिवादी न. 1 और 2 के गलत इरादे पर ध्यान नहीं दे सका। 1 और 2 ने याचिका का निपटारा किया, उन्हें मूल निविदा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देते हुए, स्वतंत्र समिति की रिपोर्टों और प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं और अवैधताओं के संबंध में दिनांक 8.1.2021 के आदेश में एकल पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों की अनदेखी की। 1 हिमुडा।
13. स्वतंत्र समिति द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों और दिनांक 8.1.2021 के आदेश में एकल पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों को दरकिनार करने के लिए कोई ठोस कारण बताए

बिना विवादित आदेश पारित किया गया है, इसलिए इसे रद्द करने और दरकिनार करने का अधिकार है। चूंकि, हमने पाया है कि प्रतिवादी नं.1 हिमुडा, हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर 'राज्य' ने दुर्भावनापूर्ण और प्रतिवादी नं.2, और उच्च न्यायालय का रुख किया था, वर्तमान अपील भारी लागत के साथ अनुमति देने योग्य है।

14. मामले के उस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। रुपये की लागत के साथ अपील की अनुमति है। रुपये 5,00,000-प्रतिवादी नं. 1 द्वारा जमा किया जाना है। हिमुडा आज से दो सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन के साथ। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी नं.1 कानून के अनुसार और कानून की उचित सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक नई निविदा सम्यक प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा।

हेडनोट्स तैयारकर्ता: निधि जैन

मामले का परिणाम:
अपील की अनुमति दी गई।

प्रेम पाल रान्टा
(सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश)